International Journal of Latest Emerging Multidisciplinary Research
Volume 1 ~ Issue 1 (Jan – June 2025) pp: 20-24
www.ijlemr.net

Research Paper

महिला के प्रति हिंसा व उत्पीड़न

शादना परिहार
व्याख्याता
महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

महिलाओं के विरुद्व हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा नहीं है।यहबहुत व्यापक है, और इसमें यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वित्तिय शौषण शामिल है। राष्ट्रीय योजना महिलाओं के खिलाफ दो मुख्य प्रकार की हिंसा को लक्षित करती है – घरेलू और पारिवारिक हिंसा और यौन उत्पीड़न।[1]

महिला के प्रति हिंसा वर्तमान काल मे ही नही बल्कि प्राचीन काल से दिखाई देती है। वर्तमान मे दहेज हत्या के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते है। महिला का बलात्कार, उनके साथ मारपीट, उनको जला देना, वेश्यावृति, बेचना, उनकी हत्या करना इत्यादि महिला के प्रति अपराध के उदाहरण है। महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार तथा उत्पीड़न नारी को न केवल शारिरीक रुप से वरन मानसिक रुप से भी आघात पहुॅचाता है। भारत मे महिला उत्पीड़न का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तको मे मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का भी महिला उत्पीड़नमें भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए फलस्वरुप महिलाऐं आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई हैं, बावजूद इन सबके, महिला अत्याचारों में कोई कमी नही आई है। अनेक मामलो मे तो महिलाओ के प्रति किए गए अपराध पुलिस रिकॉर्ड मे दर्ज ही नही होते है। वही अनेक मामलों मे महिला के प्रति किए गए अपराधों को घरेलू मामला कह कर रफा–दफा कर दिया जाता है। स्वयं स्त्री भी इस प्रकार की हिंसक घटनाओ बाहर उजागर नही करना चाहती है।

यौन उत्पीड़न के प्रकार :–नारी उत्पीड़न के अन्य रुप मे यौन उत्पीड़न शामिल है। अनेक बार महिला के साथ कार्यस्थल पर मालिको द्वारा यौन शोषण किया जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, ऐसे मे या तो महिला नौकरी छोड़ देती है या आत्मसमर्पण कर देती है। महिला के प्रति यौन उत्पीड़न के अनेक प्रकार है जैसे नारी हत्या, बलात्कार, भगाकर ले जाना, वेश्यावृति, दहेज हत्या, विधवा के प्रति हिंसा, छेड़–छाड़, महिला के पिटाई करना आदि।

नारी के विरुद हिंसा के कारण :–महिला के प्रति हिसा के अनेक कारण है भारतीय समाज का पुरुष प्रधान समाज होना, महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता,महिला अशिक्षा,महिला का स्वयं के अधिकारों के प्रति अजागरुकता,महिलाओं से संबंधित कुप्रथाँए जैसे बाल–विवाह,पर्दा प्रथा,दहेज प्रथा आदि पुरुषो द्वारा मद्यपान कर महिला हिंसा।

महिलाओ के विरुद्ध की जा रही हिंसा को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। यदि महिलाओं को आर्थिक रुप से निर्भर बना देंगे तो महिला हिंसा मे आवश्यक रुप से कमी आएगी। सरकार तथा स्वयंसेवी सगंठनो द्वारा इस प्रकार की महिलाए जो हिंसा से परेशान होकर अपना घर छोड़ना चाहती है, उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए।

यदि महिला को शिक्षित कर दिया जाए तो भी महिला के प्रतिकी जा रही हिंसा मे कमी आएगी कानूनी रुप से महिला के प्रति की जा रही हिंसा को रोका जा सकता है। जो व्यक्ति महिला के प्रति हिंसक बर्ताव करे उसके लिए दण्ड की व्यवस्था हो, तथा समाज भी सामाजिक रुप से ऐसे व्यक्ति की निंदा करे जिसमे वह व्यक्ति हिंसा त्यागे। महिलाओं के लिएपृथक से न्यायालय की स्थापना हो, तथा महिला हिंसा व अपराध की सुनवाई त्वरित रुप से करने की व्यवस्था की जाए, महिला को जागरुक करने हेतु महिला संगठनो की स्थापना की जाए। महिला की परवरिश माता–पिता द्वारा इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे वह मानसिक शारिरीक रुप से सशक्त बने तथा अपने प्रति हो रही हिंसा व अपराध का विरोध कर सके।[2]

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को वैश्विक स्तर पर समाप्त करने के प्रयास किए गए है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (1993) मे कहा गया है कि महिला के विरुद हिंसा पुरुषों तथा महिलाओं के बीच एतिहासिक रुप से असमान शक्ति सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव की रोकथाम हुई है।

महिलाओं की पूर्ण उन्नति और महिला विरुद्ध हिंसा उन महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्रो मे से एक है। जिसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों की तुलना मे अधीनस्थ स्थिति मे मजबूर किया जाता है।[3]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू संबधो में चार प्रकार के महिला विरुद्ध हिंसा को मान्यता देता है : शारीरिक, यौन शोषण, भावनात्मक या मौखिक दुव्यव्हार और आर्थिक हिंसा। वैश्विक स्तर पर किसी रिश्ते मे रहने वाली सभी महिलाओं में से लगभग एक तिहाई (30%) ने अपने अंतरगे साथी द्वारा शारिरीक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। W.H.O. के आकड़ेबताते है कि महिलाओं की सभी हत्याओं में से 38% अतरंग भागीदारों द्वारा की जाती है। भारत की स्थिति महिला के विरुद्ध की जा रही हिंसा को लेकर चिंताजनक है। वर्ष 2011 के दौरान {राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्टनुसार} पति व रिश्तेदारो द्वारा क्रूरता 43.9% छेड़छाड़18.8%, बलात्कार 10.6%, अपहरण और 15. 6%, यौन उत्पीड़न 3.7%, दहेज हत्या 3.8%, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1.1%, दहेज निषेध अधिनियम 2.9% और अन्य 0.2% ।[4]

महिला के प्रति की हिंसा व शोषण की अभिव्यक्तियां पूरे जीवनकाल मे जन्म से लेकर शिशु अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, व्याक्ता से लेकर बुढापे तक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक वैश्विक अभियान के रुप मे हिंसा का रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाओं को लागू करने की वकालात करता है। वर्तमान मे सर्वाधिक चिंता का विषय घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज हिंसा, औनर किंलिग, एसिड अटेक, बलात्कर के बढ़ते मामले है।[5]

*Corresponding Author: शादना परिहार

महिला के विरुद्ध हिंसा के परिणाम :– एक बार हिंसा से पीडित होने के बाद दोबारा पीड़ित होने की सभांवना अधिक होती है। हिंसा के बाद अवसाद, आत्महत्या की प्रवृति, कम जन्मदर गर्भपात और संकमण का खतरा बताया गया है। महिला के आत्मसम्मान मे कमी आती है। उन्हे अनेक मानसिक समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता, नींद सम्बधी समस्या इत्यादि से ग्रसित हो जाती है। हिंसा की शिकार मॉ को जब बच्चे देखते है तो वे भी प्रभावित होते है। लड़के अपने पिता से आक्रमक व्यवहार सीखते है। जबकि लड़कियॉ नकारात्मक व्यवहार सीखती है और वे अकसर दब्बू, चुपचाप रहने वाली बन जाती है। महिला हिंसा के कारण समाज भी प्रभावित होता है। अगली पीढ़ी मे हिंसा च्रक की निरंतरता बनी रहती है तथा यह धारणा बनी रहती है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर होते है।[6]

वर्तमान मे आवश्यकता इस बात की है कि हिंसा व उत्पीड़न के विषय में चर्चा करना तथा इसको रोकनें की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना, ये प्रयास सभी स्तरों पर किया जाना आवश्यक हो जैसे सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ऐसी महिलाओं को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन्होने हिंसक व उत्पीड़न पुरुषो के व्यवहार को झेला है। महिलाओं को कानून मे दिए गए उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी देनी चाहिए। भारत मे इस प्रकार की पीड़ित महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। उन महिलाओ की विशेषकर काउन्सलिंग की जानी चाहिए जो इन समस्याओं को झेल चुकी है। जिससे वें उस पीड़ा से उबर सकें।[7]

समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का भी महिला उत्पीड़नमें भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए फलस्वरुप महिलाऐं आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई हैं, बावजूद इन सबके, महिला अत्याचारों में कोई कमी नही आई है। अनेक मामलो मे तो महिलाओ के प्रति किए गए अपराध पुलिस रिकॉर्ड मे दर्ज ही नही होते है। वही अनेक मामलों मे महिला के प्रति किए गए अपराधों को घरेलू मामला कह कर रफा–दफा कर दिया जाता है। स्वयं स्त्री भी इस प्रकार की हिंसक घटनाओ बाहर उजागर नही करना चाहती है।

हिंसा की शिकार मॉ को जब बच्चे देखते है तो वे भी प्रभावित होते है। लड़के अपने पिता से आक्रमक व्यवहार सीखते है। जबकि लड़कियॉ नकारात्मक व्यवहार सीखती है और वे अकसर दब्बू, चुपचाप रहने वाली बन जाती है। महिला हिंसा के कारण समाज भी प्रभावित होता है। अगली पीढ़ी मे हिंसा च्रक की निरंतरता बनी रहती है तथा यह धारणा बनी रहती है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर होते है।

समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का भी महिला उत्पीड़नमें भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए फलस्वरुप महिलाऐं आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई हैं, बावजूद इन सबके, महिला अत्याचारों में कोई कमी नही आई है। अनेक मामलो मे तो महिलाओ के प्रति किए गए अपराध पुलिस रिकॉर्ड मे दर्ज ही नही होते है। वही अनेक मामलों मे महिला के प्रति किए गए अपराधों को घरेलू मामला कह कर रफा–दफा कर दिया जाता है। स्वयं स्त्री भी इस प्रकार की हिंसक घटनाओ बाहर उजागर नही करना चाहती है।

यदि महिला को शिक्षित कर दिया जाए तो भी महिला के प्रतिकी जा रही हिंसा मे कमी आएगी कानूनी रुप से महिला के प्रति की जा रही हिंसा को रोका जा सकता है। जो व्यक्ति महिला के प्रति हिंसक बर्ताव करे उसके लिए दण्ड की व्यवस्था हो, तथा समाज भी सामाजिक रुप से ऐसे व्यक्ति की निंदा करे जिसमे वह व्यक्ति हिंसा त्यागे।

महिला के प्रति हिंसा वर्तमान काल मे ही नही बल्कि प्राचीन काल से दिखाई देती है। वर्तमान मे दहेज हत्या के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते है। महिला का बलात्कार, उनके साथ मारपीट, उनको जला देना, वेश्यावृति, बेचना, उनकी हत्या करना इत्यादि महिला के प्रति अपराध के उदाहरण है। महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार तथा उत्पीड़न नारी को न केवल शारिरीक रुप से वरन मानसिक रुप से भी आघात पहुॅचाता है।

भारत मे महिला उत्पीड़न का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तको मे मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का भी महिला उत्पीड़नमें भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए फलस्वरुप महिलाऐं आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई हैं, बावजूद इन सबके, महिला अत्याचारों में कोई कमी नही आई है। अनेक मामलो मे तो महिलाओ के प्रति किए गए अपराध पुलिस रिकॉर्ड मे दर्ज ही नही होते है।

जो व्यक्ति महिला के प्रति हिंसक बर्ताव करे उसके लिए दण्ड की व्यवस्था हो, तथा समाज भी सामाजिक रुप से ऐसे व्यक्ति की निंदा करे जिसमे वह व्यक्ति हिंसा त्यागे। महिलाओं के लिएपृथक से न्यायालय की स्थापना हो, तथा महिला हिंसा व अपराध की सुनवाई त्वरित रुप से करने की व्यवस्था की जाए, महिला को जागरुक करने हेतु महिला संगठनो की स्थापना की जाए। महिला की परवरिश माता–पिता द्वारा इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे वह मानसिक शारिरीक रुप से सशक्त बने तथा अपने प्रति हो रही हिंसा व अपराध का विरोध कर सके।

अनेक मामलो मे तो महिलाओ के प्रति किए गए अपराध पुलिस रिकॉर्ड मे दर्ज ही नही होते है। वही अनेक मामलों मे महिला के प्रति किए गए अपराधों को घरेलू मामला कह कर रफा–दफा कर दिया जाता है। स्वयं स्त्री भी इस प्रकार की हिंसक घटनाओ बाहर उजागर नही करना चाहती है।

महिला के प्रति यौन उत्पीड़न के अनेक प्रकार है जैसे नारी हत्या, बलात्कार, भगाकर ले जाना, वेश्यावृति, दहेज हत्या, विधवा के प्रति हिंसा, छेड़–छाड़, महिला के पिटाई करना आदि।

एक बार हिंसा से पीडित होने के बाद दोबारा पीड़ित होने की सभांवना अधिक होती है। हिंसा के बाद अवसाद, आत्महत्या की प्रवृति, कम जन्मदर गर्भपात और संकमण का खतरा बताया गया है। महिला के आत्मसम्मान मे कमी आती है। उन्हे अनेक मानसिक समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता, नींद सम्बधी समस्या इत्यादि से ग्रसित हो जाती है। हिंसा की शिकार मॉ को जब बच्चे देखते है तो वे भी प्रभावित होते है।

*Corresponding Author: शादना परिहार

सन्दर्भ

1. सुन्दरिया राजेन्द्र प्रसाद – महिला एवं घरेलू हिंसा सागर पब्लिशिंग, जयपुर
2. दुबे मुक्तो – महिला आरक्षण चुनौतिया व संभवानाए, बी.के. तनेजा क्लासिक्ल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
3. महिलाओ के विरुद हिंसा के उन्मूलन की घोषणा, UNO
4. जेनेवा : WHO : 2013, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महिलाओ के खिलाफ हिंसा के वैश्विक और क्षैत्रीय अनुमान
5. नई दिल्ली : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृहमंत्रालय 2011
6. शर्मा, पंडित बी. पाठक, ए. शर्मा आर – हिन्दू विवाह और मानसिक बिमारी
7. जयामीलन एल. कुमार एस., नीलकोतन, एम.पीडिकायिल ए, पिल्लई आर, डुवुरी एन : भारत मे महिलाओ के खिलाफ हिंसा